न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 13/24 GCMS NO 2024/25

1. नगेन्द्र व्यास पुत्र रधुनाथ प्रसाद जाति ब्राहम्ण
2. मनोहर लाल पुत्र मुरारीलाल जाति महाजन (फौत)
3. शारदा देवी पत्नि विष्णुचंद जाति ब्राहम्ण
4. विश्वास पुत्र विष्णुचंद जाति ब्राहम्ण निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली
5. रमेश चंद पुत्र सीताराम व्यास जाति ब्राहम्ण (फौत)

5/1. मुन्नी देवी पत्नि स्व0रमेश चंद जाति ब्राहम्ण

5/2. बालकृष्ण पुत्र स्व0रमेश चंद जाति ब्राहम्ण

5/3. नगेन्द्र पुत्र स्व0रमेश चंद जाति ब्राहम्ण निवासीयान भांकरी हाल शुक विहार कालोनी करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रंगजी पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली (हजफ)
2. तहसीलदार करौली
3. मुकुट बिहारी पुत्र मक्खनलाल जाति मीना निवासी जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 204/2008(120/1998) निर्णय व डिकी दिनांक 18.1.24 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री नेमी चंद गर्ग

दिनांक 16.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 18.1.24 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटस ने एक वाद पत्र दफा 188–92 (ए) प 183 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 2812/11 रकबा 8 बीघा 9 विस्वा ग्राम कैलादेवी तहसील करौली वादीगण के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। प्रतिवादी न0 1 का आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नही है प्रतिवादी न0 1 प्रभावशाली व्यक्ति है सपोटरा विधानसभा से एम एल ए है और ताकत के बल पर जबरन जमीन मे मदाखलत ... करने पर उतारू हो रहा है। दिनांक 6.9.98 को जबरन आराजी मे मदाखलत ... मे बरंग सुर्ख जिससे मे करीब 60 गुणा 100 फीट जमीन मे नीव खोद कर उसे भरवाना शुरू कर दिया। वादी... मना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किया तो आमादा फिसाद हो गये और आगे भी निर्माण कार्य करने एवं पूरी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है एवं जो निर्माण कार्य प्रतिवादीगण ने कराया है उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर निर्माण कार्य को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात पर किसी तरह से मुद्दाखलत मजाहमत नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटस द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, रिकार्ड व साक्ष्य के प्रतिकूल होने से एवं विधि विरूद्व होने व खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई आर्वेटेटरी परवर्स रेस्पो0 है। विधि के सुव्यवस्थित सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वादीगण अपीलांट की साक्ष्य पर भरोसा ना करने मे गंभीर त्रुटि की है निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की साक्ष्य पर भरोसा करने मे गंभीर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य की सही प्रकार से विवेचना व विश्लेषण ना करने मे विधि की गंभीर त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा पेशकर्ता के अभिवचनो के अनुसार तनकीयात कायम नही की है और बगैर तनकी बनाये ही अपीलांट/वादीगण का दावा विधि विरूद्व रूप से खारिज किया गया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का फैसला विरूद्व अपीलांट पारित करने मे विधिक भूल की है। तनकी न0 1 के तहत अपीलांट वादीगण को अपनी साक्ष्य से खसरा न0 2812/11 ग्राम कैलादेवी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित करना था जिसके सर्मथन मे वादी ने जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 प्रदर्श 1 पेश की थी और मौखिक साक्ष्य पी डब्लू 1 अपीलांट वादी नगेन्द्र व्यास ने अपनी साक्ष्य मे उक्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है। जिसके खण्डन मे रेस्पो0 प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ख0न0 2812/11 के ... द्वारा पेश नही की है। जिससे भूमि वादीगण अपीलांटस के खातेदारी की ना हो। ... विवाधक संख्या 1 को विधिवत तौर पर अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य ... ने भी अपीलांटस के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व ... अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व पारित करके दावा अपीलांटस खारिज करने मे भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 2 को भी अपीलांटस ने अपनी विधिवत साक्ष्य से साबित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 2812/11 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा ग्राम कैलादेवी प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 से वादीगण अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का विवेचन विधि विरूद्व रूप से करकर यह तनकी अपीलांटस के विरूद्व व रेस्पो0 के पक्ष मे तय की है जबकि उक्त तनकी को साबित करने मे सफल रहे है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के हक मे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने मे भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 3 को भी अपीलांटगण ने अपनी विधिवत साक्ष्य से साबित किया है एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 2 व 3 से अपीलांटगण वादीगण ने उक्त आराजी मे अनाधिकार निर्माण करना साबित किया है। खसरा न0 2812/11 वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी व कब्जे की होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का विवेचन गलत रूप से करकर यह तनकी विधि विरूद्व रूप से अपीलांट वादीगा के विरूद्व व प्रतिवादीगण रेस्पो0 के पक्ष मे तय करने मे कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय विधि विरूद्व है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/रेस्पो0 पर है। ख0न0 2812/11 ग्राम कैलादेवी की तरमीम ख0न0 2812/11 ग्राम कैलादेवी मे होना कमिश्नर रिपोर्ट नायब तहसीलदार करौली प्रदर्श 2 व 3 से साबित है एवं ख0न0 2812/11 की तरमीम उप जिला कलेक्टर करौली के आदेश एवं तहसीलदार करौली के प्रस्ताव प्रदर्श 5 ता 7 से बखूबी साबित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 2812/11 पर रेस्पो0 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय करने मे भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय व तनकी संख्या 3 व 4 का विवेचन अपास्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण रेस्पो0 पर है इस संबंध मे प्रतिवादीगण द्वारा दायरी दावा से पूर्व खसरा न0 2812/11 व 2812/12 का रूपान्तरण आबादी हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली मे रेस्पो0 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है जिसके तहत अधिनस्थ न्यायालय ने इस विवाधक को वादीगण के पक्ष मे तय किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादगण के पक्ष मे तय किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण वादीगण का दावा खारिज करने मे कानूनी भूल की है। जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार रेस्पो0 प्रतिवादीगण पर था जिसके सबंध मे उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण मे तरमीम की अपील राजस्व मंडल अजमेर मे लंबित होने का पेश नही किया है जिसके खण्डन मे अपीलांट/वादीगण द्वारा राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 12.2.21 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 पेश की है जिससे तरमीम की अपील खारिज हो चुकी है और दिनांक 1.2.93 को उप जिला कलैक्टर करौली द्वारा तरमीम अनुमोदन स्वीकार हुआ है। वह अंतिम है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 6 को अपीलांट/वादीगण के विरूद्व व रेस्पो0 के पक्ष मे तय करने मे भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 7 अनुतोष का विवेचन अधिनस्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व उपलब्ध साक्ष्य व तनकीयात के गलत विवेचन के आधार पर किया है। जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य के विपरीत है विधि विरुद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादीगण का दावा डिक्री नही कर खारिज कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर दावा वादी/अपीलांटगण डिक्री किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि सम्मत व दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की गुजाईश नही है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया गया था कि ख0न0 2812/12 रामजीलाल उर्फ डिब्बा के नाम है किन्तु अपीलार्थी ने उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी उस व्यक्ति को पक्षकार नही बनाया है। जबकि उपरोक्त वाद के निर्णय मे उक्त व्यक्ति आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है। इसलिए अपीलार्थी का वाद पक्षकारो के असंयोजन के कारण खारिज किये जाने योग्य है। सीपीसी के प्रावधान के तहत आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कोई भी वाद पक्षकारो के असंयोजन के कारण विफल हो जावेगा यदि वह पक्षकार कोई वाद मे आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है, अपीलार्थीगण ने राजजीलाल उर्फ डिब्बा जो कि उपरोक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है को पक्षकार नही बनाया है इस कारण अपीलार्थीगण की अपील इस कानूनी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर खसरा न0 2812/12 मे से प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कुल 488.88 वर्गगज के दो भूखण्ड संख्या 1 व 2 के रूप मे जरिये पंजीकृत दिनांक 13.10.97 को क्रय किये है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र प्रत्यर्थी संख्या 3 ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो प्रदर्श ए-2 है किन्तु उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने का कोई अनुतोष अपीलार्थीगण ने अपने वाद से अधिनस्थ न्यायालय से नही चाहा है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट नही की है कि उसके द्वारा अन्य सिविल न्यायालय मे कोई अन्य सिविल वाद विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है इसलिए उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये वगैर अपीलार्थीगण का वाद मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का कूननी रूप से पोषनीय नही है तथा इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत आदेश है। उक्त विक्रय पत्र के पश्चात क्रय शुदा आराजी पर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्राप्त कर लिया है उस भूमि पर कब्जा वापस प्रदान करने का कोई अनुतोष नही चाहा है ना ही विक्रय पत्र पंजीकृत हो जाने के पश्चात स्व[illegible] द्वारा क्रयशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का कोई अनुतोष [illegible] इसलिए कब्जा वापिस के अनुतोष तथा घोषणा के अनुतोष के अभाव मे [illegible] कानूनी रूप से पोषनीय नही है। इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा जिस विवादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध मे वाद पेश किया गया है उस भूमि मे से प्लाट संख्या 1 व 2 अर्थात 488.88 वर्गगज भूमि कृषि से आबादी भूमि मे परिवर्तित हो चुकी है तथा उसके पटटे की प्रत्यर्थी संख्या 3 को जारी किये जो चुके है। जो प्रदर्श 4 है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि राजस्व न्यायालय को मात्र कृषि आराजीयात के संबंध मे वाद सुनने का क्षैत्राधिकार है। आबादी भूमि के संबंध मे वाद सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। बल्कि सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील कानूनी रूप से पोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण ने अपने मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से यह प्रमाणित नही किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा हो इसलिए वगैर कब्जे के अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है। कानून मे स्पष्ट प्रावधान है कि किसी सम्पति के वास्तविक स्वामी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण ने अपने अभिवचनो ,मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से ख0न0 2812/11 का स्वयं को स्वामी साबित नही किया है तथा राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज मात्र फिस्कल एन्ट्री होती है तथा वह प्रविष्टि किसी भी कृषि आराजीयात के स्वामित्व का सबूत नही होती है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र जमाबंदी के अलावा अन्य कोई दस्तावेज साक्ष्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध मे प्रस्तुत नही किये है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित नही करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से वाद पत्र खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय व डिकी पारित की गंई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर खरीद के समय से ही कब्जा रेस्पो0 का माना है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आर्बीट्रेरी परवर्स व केप्रिसियस है। इस प्रकार अपीलाट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादीगण/अपीलाटगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे यह तथ्य अंकित किया गया था कि आराजी ख0न0 2812/11 रकबा 8 बीघा 9 विस्वा ग्राम कैलादेवी तहसील करौली वादीगण की शांमलाती कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रतिवादी न0 1 द्वारा बिना किसी अधिकार के रकबा 60 गुणा 100 अर्थात 488.88 वर्ग गज भूमि पर जबरन नीब खोदकर निर्माण कार्य किये जाने के कारण रेस्पो/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने एवं विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। पत्रावली मे [illegible]मा दिनांक 13.10.97 के अनुसार आराजी ख0न0 2812/12 के खातेदार बाबूलाल [illegible]लाल जाति कायस्थ निवासी कैलादेवी से प्रतिवादी मुकुट बिहारी पुत्र [illegible] निवासी जोडली तहसील सपोटरा ने जरिये बयनामा 488.88 वर्गगज [illegible]क्त कय शुदा भूमि का आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मे संपरिवर्तन तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 18.12.97 के द्वारा किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा कय की गई भूमि के खातेदार रामजीलाल उर्फ डिब्बा को अपीलांट द्वारा ना तो दावे मे पक्षकार बनाया गया है ना ही अपील मे पक्षकार बनाया है। जो हस्तगत प्रकरण मे उचित पक्षकार की हैसियत रखता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील पक्षकारो के असंयोजन से भी बाधित है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे की आराजी ख0न0 2812/11 मे रेस्पो/प्रतिवादी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 204/08 (120/1998) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2024 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner